

वाचा :- १. महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार दिनांक २१/८/२०१५, सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र ३१,  
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५  
२. महसूल व वन विभाग यांचेकडील पत्र क्र. संकिर्ण - २०१६/प्र.क्र. १९४/ल-१, दि. २७/७/२०१६

क्र.भू-३/वि.नों.क्र.२०५/म.लो.ह अ.२०१५/२०१६  
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि  
अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचे कार्यालय  
पुणे, दिनांक ६/१०/२०१६

### अधिसूचना :-

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ (सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.३१) च्या कलम ३ (१) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे याद्वारे उक्त अध्यादेशाच्या प्रयोजनार्थ जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे कार्यालयाच्या अधिनस्त भूमि अभिलेख विभागाच्या कार्यालयामार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम आणि द्वितीय प्राधिकारी या बाबी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करित आहे.

#### परिशिष्ट

| अ. क्र. | लोकसेवेचा तपशील  | लोकसेवा पुरविण्या साठी विहित केलेली कालमर्यादा (दिवस) | पदनिर्देशित अधिका-याचे पदनाम  | प्रथम अपिल अधिका-यांचे पदनाम   | द्वितीय अपिल अधिका-यांचे पदनाम                                  |
|---------|--|---|---|--|---|
| १       | २  | ३   | ४   | ५  | ६   |
| १.      | <b>नक्कल पुरविणे</b>   |   |   |  |   |
|         | अ) मिळकत पत्रिका   | ३ दिवस  | १) मुख्यालय सहाय्यक/परीरक्षण भूमापक(गावठाण), उपअधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय<br>२) शिरस्तेदार/ प्रमुख लिपीक, नगर भूमापन अधिकारी कार्यालय   | १) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख<br>२) नगर भूमापन अधिकारी   | जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख                                      |
|         | ब) मिळकत पत्रिका मुंबई उपनगर जिल्हा, क्षेत्र पडताळणी करून  | ३० दिवस   | नगर भूमापन अधिकारी  | जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख   | उपसंचालक भूमि अभिलेख  |
|         | क) टिपण, क्षेत्रबुक, प्रतिबुक, शेतपुस्तक, जबाब, फाळणी, काटे फाळणी, हि. फॉ. नं. ४, आकारफोड, स्कीम उतारा, आकारबंद, गटनकाशा, मोजणी नकाशा, क.जा.प., चौकशी नोंदवही इत्यादि अभिलेख | ५ दिवस  | १) मुख्यालय सहाय्यक, उपअधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय<br>२) मुख्यालय सहाय्यक/ प्रमुख लिपीक / शिरस्तेदार, नगर भूमापन अधिकारी कार्यालय<br>३) शिरस्तेदार, विशेष उपअधीक्षक भूमि अभिलेख (गावठाण / शहर मापन),<br>४) विशेष उपअधीक्षक भूमि अभिलेख तथा चौकशी अधिकारी | १) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख<br>२) नगर भूमापन अधिकारी<br>३) विशेष उपअधीक्षक भूमि अभिलेख (गावठाण / शहरमापन)<br>४) जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख | १, २, व ३ जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख<br>४) उपसंचालक भूमि अभिलेख |

|    |   |          |  |  |   |
|----|---|----------|--|--|---|
|    | ड) अपील निर्णयाच्या नकला  | ३ दिवस   | १) मुख्यालय सहाय्यक,<br>उपअधीक्षक भूमि अभिलेख<br>कार्यालय<br>२) मुख्यालय सहाय्यक/ प्रमुख<br>लिपीक / शिरस्तेदार,<br>नगर भूमापन अधिकारी<br>कार्यालय<br>३) प्रमुख लिपीक,<br>जिल्हा अधीक्षक भूमि<br>अभिलेख कार्यालय<br>४) वरिष्ठ लिपीक<br>उपसंचालक भूमि अभिलेख<br>कार्यालय | १) उप अधीक्षक भूमि<br>अभिलेख<br>२) नगर भूमापन<br>अधिकारी<br>३) जिल्हा अधीक्षक<br>भूमि अभिलेख<br>४) कार्यालय अधीक्षक,<br>उपसंचालक भूमि<br>अभिलेख कार्यालय | १ व २<br>जिल्हा अधीक्षक<br>भूमि अभिलेख<br>३) उपसंचालक भूमि<br>अभिलेख<br>४) जिल्हा अधीक्षक<br>भूमि अभिलेख<br>(संलग्न)<br>उपसंचालक भूमि<br>अभिलेख |
| २. | <b>मोजणी प्रकरणे</b>  |          |  |  |   |
|    | <b>अ) मोजणीची कार्यवाही पूर्ण करणे</b>  |          |  |  |   |
|    | i) अतितातडी प्रकरणे   | ६० दिवस  | उपअधीक्षक भूमि अभिलेख /<br>नगर भूमापन अधिकारी  | जिल्हा अधीक्षक भूमि<br>अभिलेख  | उपसंचालक भूमि<br>अभिलेख   |
|    | ii) तातडी प्रकरणे   | ९० दिवस  | उपअधीक्षक भूमि अभिलेख /<br>नगर भूमापन अधिकारी  | जिल्हा अधीक्षक भूमि<br>अभिलेख  | उपसंचालक भूमि<br>अभिलेख   |
|    | iii) साधी प्रकरणे   | १८० दिवस | उपअधीक्षक भूमि अभिलेख /<br>नगर भूमापन अधिकारी  | जिल्हा अधीक्षक भूमि<br>अभिलेख  | उपसंचालक भूमि<br>अभिलेख   |
|    | ब) मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर मोजणी<br>नकाशाची "क" प्रत देणे  | १५ दिवस  | उपअधीक्षक भूमि अभिलेख /<br>नगर भूमापन अधिकारी  | जिल्हा अधीक्षक भूमि<br>अभिलेख  | उपसंचालक भूमि<br>अभिलेख   |
| ३. | <b>आकारफोड / क.जा.प. तयार करणे</b>  |          |  |  |   |
|    | अ) पोटहिस्सा मोजणीनंतर परिपूर्ण<br>प्रकरणामध्ये आकारफोड मंजूर करणे  | ३० दिवस  | १) उपअधीक्षक भूमि अभिलेख<br>२) नगर भूमापन अधिकारी  | जिल्हा अधीक्षक भूमि<br>अभिलेख  | उपसंचालक भूमि<br>अभिलेख   |
|    | ब) बिनशेती मोजणी प्रकरण निकाली<br>झाल्यानंतर परिपूर्ण प्रकरणामध्ये<br>क.जा.प. तयार करून मंजूर करणे  | ३० दिवस  | १) उपअधीक्षक भूमि अभिलेख<br>२) नगर भूमापन अधिकारी  | जिल्हा अधीक्षक भूमि<br>अभिलेख  | उपसंचालक भूमि<br>अभिलेख   |
| ४. | <b>फेरफार नोंदी</b>   |          |  |  |   |
|    | अ) विवादग्रस्त नसल्यास  | ३० दिवस  | १) उपअधीक्षक भूमि अभिलेख<br>२) नगर भूमापन अधिकारी  | जिल्हा अधीक्षक भूमि<br>अभिलेख  | उपसंचालक भूमि<br>अभिलेख   |
|    | ब) दुवा तुटलेली असल्यास<br>फेरफाराबाबत निर्णय घेणे  | ९० दिवस  | १) उपअधीक्षक भूमि अभिलेख<br>२) नगर भूमापन अधिकारी  | जिल्हा अधीक्षक भूमि<br>अभिलेख  | उपसंचालक भूमि<br>अभिलेख   |
|    | क) रस्ता, रस्ता सेट बँक, रिझर्वेशन<br>याबाबत संबंधित प्राधिकरणाला जागा<br>हस्तांतरित केलेल्या प्रकरणी<br>संबंधितांच्या नांवे मिळकत पत्रिकेत | ३० दिवस  | १) उपअधीक्षक भूमि अभिलेख<br>२) नगर भूमापन अधिकारी  | जिल्हा अधीक्षक भूमि<br>अभिलेख  | उपसंचालक भूमि<br>अभिलेख   |

|    |   |         |   |                            |                      |
|----|---|---------|---|----------------------------|----------------------|
|    | नोंद घेणे. (प्रकरणी महानगरपालिका / सक्षम प्राधिकारी यांनी ताबा पावती व संपुर्ण कागदपत्रासह नामांतरासाठी प्रकरण पाठविल्यास )   |         |   |                            |                      |
|    | ड) विवादग्रस्त असल्यास  | १ वर्ष  | १) उपअधीक्षक भूमि अभिलेख<br>२) नगर भूमापन अधिकारी | जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख | उपसंचालक भूमि अभिलेख |
| ५. | <b>मिळकत पत्रिकेची पोटविभागणी करून मिळकत पत्रिका स्वतंत्र करणे</b><br>याबाबत पोटहिस्सा मोजणी पूर्ण झालेल्या दिवसापासुन<br>अ) जिल्हाधिकारी यांनी आदेशित केलेल्या क्षेत्रात तफावत येत नसल्यास पोटहिस्सा मोजणी झाल्यापासुन स्वतंत्र मिळकत पत्रिका तयार करणे                            | ३० दिवस | १) उपअधीक्षक भूमि अभिलेख<br>२) नगर भूमापन अधिकारी | जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख | उपसंचालक भूमि अभिलेख |
|    | ब) जिल्हाधिकारी यांनी आदेशित केलेल्या पोटहिस्सा क्षेत्रात तफावत येत आहे. मात्र मुळ नगर भूमापनाच्या क्षेत्रात फरक नाही अशा प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांनी फेरमान्यता दिल्यानंतर स्वतंत्र मि. पत्रिका उघडणे   | १५ दिवस | १) उपअधीक्षक भूमि अभिलेख<br>२) नगर भूमापन अधिकारी | जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख | उपसंचालक भूमि अभिलेख |
| ६. | <b>भूसंपादनामध्ये रस्ता, रस्ता सेट बँक, रिझर्वेशन याबाबत शासन / संबंधीत प्राधिकारी यांचे नावे स्वतंत्र मिळकत पत्रिका तयार करणे</b><br>अ) ज्याठिकाणी मुळ नगर भूमापनाच्या क्षेत्रात फरक पडत नाही अशा बाबतीत सक्षम प्राधिका-यांचा अंतिम आदेश झालेनंतर मिळकत पत्रिका स्वतंत्र तयार करणे | ३० दिवस | १) उपअधीक्षक भूमि अभिलेख<br>२) नगर भूमापन अधिकारी | जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख | उपसंचालक भूमि अभिलेख |
|    | ब) हस्तांतरण क्षेत्रात फरक पडत असल्यास सक्षम प्राधिका-यांच्या फेरअंतिम आदेशानंतर  | ३० दिवस | १) उपअधीक्षक भूमि अभिलेख<br>२) नगर भूमापन अधिकारी | जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख | उपसंचालक भूमि अभिलेख |

सही. XXX  
( संभाजी कडूपाटील )  
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक  
भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे

प्रत :- व्यवस्थापक, येरवडा कारागृह मुद्रणालय, येरवडा, पुणे ४११००६ यांचेकडे माहिती व कार्यवाहीसाठी सन्नेह अग्रेषित.

२/- सदरची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र भाग - १ मध्ये उपविभागात प्रसिध्द करण्यात यावी.

प्रतिलिपी :-

- १) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन
- २) मा.राज्यपाल महोदय यांचे सचिव
- ३) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव

